

प्रेषक,
निदेशक, पंचायती राज,

04 आवंटन

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी/

उप निदेशक (पं०),

पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।

लेखाशीर्षक-3604001960301

3604001970301

3604001980301

संख्या: 1/शा०/33/2025-1/13/2025

लखनऊ: दिनांक जुलाई, 2025

विषय: पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जुलाई, 2025 के लिए सामान्य समनुदेशन की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-17/2025/बी-2-325/दस-2025/10-14002(002)/1/2021, दिनांक 18 जुलाई, 2025 के अन्तर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अनुदान सं०-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के "लेखाशीर्ष-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" में पंचायती राज संस्थाओं हेतु सामान्य समनुदेशन की व्यवस्थित धनराशि रु०-10800.00 करोड़ में से माह जुलाई, 2025 के लिये रु०-900.00 करोड़ त्रिस्तरीय पंचायतों को जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतवार अवमुक्त किया गया है।

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जा रही है:-

- 1- आवंटित की जा रही धनराशि का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।
- 2- पंचायती राज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- 3- आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर सीधे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी।
- 4- योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों का बैंक खाता तथा आई०एफ०एस०सी कोड जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।
- 5- धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित पंचायती राज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 6- आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये धनराशि आवंटित की जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- 7- योजना प्रभारी आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान सं०-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगा:-

क्र०सं०	पंचायत	लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड़ में)
1-	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन"	135.00
2-	ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता-03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन"	135.00
		"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-198-ग्राम	

R4SA

(मनीष कुमार)

उपनिदेश (प०)

पंचायती राज, उ०प्र०।

23/07/25

3-	ग्राम पंचायत	पंचायती को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग का संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28- समनुदेशन"	630.00
		योग	900.00

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0-65 पर अंकित है।

संलग्नक-यथोपरि

Digitally signed by
AMIT KUMAR SINGH
Date: 22-07-2025
10:39:47
(अमित कुमार सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या-1/शा0/33/1/2025, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- विशेष सचिव, वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 18-07-2025 के क्रम में।
- 4- निदेशक, पंचायती राज (लेखा) दसवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, प्रिट लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 6- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
- 7- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
- 8- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
- 11- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 12- उप निदेशक (पं0)/योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि तत्काल पंचायती राज संस्थाओं के खातों में धनराशि हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करें।
- 13- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 14- एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
AMITOSH SRIVASTAVA
Date: 22-07-2025
13:14:21
(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-22/07/2025

प्रेषण संख्या:- 1-sha-33-2025-01-13-2025
आवंटन आदेश संख्या:- 009-1-13-2025
अनुदान संख्या:- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
197 - ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता
03 - राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन
01 - सामान्य समनुदेशन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		28-समनुदेशन	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	1350000000 5400000000	1350000000 5400000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1350000000 5400000000	1350000000 5400000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब पैंतीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच अरब चालीस करोड़

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी



Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-22/07/2025

प्रेषण संख्या:- 1-sha-33-2025-01-13-2025
आवंटन आदेश संख्या:- 010-1-13-2025
अनुदान संख्या:- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
198 - ग्राम पंचायतों को सहायता
03 - राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन
01 - सामान्य समनुदेशन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		28-समनुदेशन	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	6300000000 25200000000	6300000000 25200000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6300000000 25200000000	6300000000 25200000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः अरब तीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस अरब बीस करोड़

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी



Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-22/07/2025

प्रेषण संख्या:- 1-sha-33-2025-01-13-2025
आवंटन आदेश संख्या:- 008-1-13-2025
अनुदान संख्या:- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
196 - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
03 - राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन
01 - सामान्य समनुदेशन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		28-समनुदेशन	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	1350000000 5400000000	1350000000 5400000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1350000000 5400000000	1350000000 5400000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब पैंतीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच अरब चालीस करोड़

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

